राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ (20)आकाशि/पॉलिसी /निसं/2020/ 331 **दिनांकः–** 11.2.2021

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु नवीन निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने/ पूर्व संचालित महाविद्यालयों को TNOC में अभिवृद्धि/PNOC/ नवीन संकाय/ विषय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/प्रबंध अन्तरण / सहशिक्षा अथवा कन्या महाविद्यालय सम्बन्धी परिवर्तन एवं स्थायी व अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण शुल्क जमा करवाने के लिए ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार होंगीः–

क्र. सं.	प्रकरण	आवेदन की तिथियां	शुल्क विवरण
1	समस्त प्रकरण	17 फरवरी, 2021 से 09 मार्च, 2021 तक	सामान्य आवेदन शुल्क
2	समस्त प्रकरण	10 मार्च 2021 से 23 मार्च, 2021 तक	सामान्य आवेदन शुल्क एवं रूपयें 25000/– विलम्ब शुल्क
3	अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्वि/ स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ; पूर्वसंचालित संकाय/विषय में)/निरीक्षण शुल्क	24 मार्च, 2021 से 31 मार्च 2021 तक	सामान्य आवेदन–शुल्क + रूपये 25000/– विलम्ब शुल्क + रूपये 10000/– अतिरिक्त विलम्ब शुल्क

नोटः–

1. संस्था निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन भरे गए आवेदन को **लॉक एंड सबमिट** अवश्य करे । ऑनलाइन आवेदन की मात्र **ड्राफ्ट कॉपी** मान्य नहीं होगी।
2. सभी पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जिन्हें अस्थायी अभिवृद्वि/स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी ऑनलाईन सूचना प्रपत्र भरना व निरीक्षण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है।

इस हेतु आवेदक संस्था को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट (hte.rajasthan.gov.in) के "NOC" लिंक पर क्लिक कर Department of College Education को select कर NOC Online Portal पर जाकर ऑन लाइन आवेदन करना होगा।

(सन्देश नायक, IAS)
आयुक्त, कालेज शिक्षा

राजस्थान सरकार

कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

निजी महाविद्यालय नीति

सत्र 2021–22 से प्रभावी

ब्लॉक 4, डा0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
दूरभाष नं0 0141 2706736
वेबसाईट **www.hte.rajasthan.gov.in**
E.mail - jdpi.cce@gmail.com

प्रस्तावना

राजस्थान में उच्च शिक्षा हेतु निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक नियम 1993 के अनुसार प्रावधान है कि राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत ही निजी महाविद्यालय का संचालन किया जा सकता है। उक्त प्रावधान का उद्देश्य है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए स्तरीय अधोसंरचना, पर्याप्त मात्रा में योग्यताधारी स्टाफ एवं उत्तम शिक्षा से युक्त निजी महाविद्यालय खोले जावें।

सत्र 2021–22 एवं उसके बाद के सत्रों से प्रारम्भ हो रहे नवीन निजी महाविद्यालयों के लिए तथा पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों में नये विषय/संकाय प्रारम्भ करने के लिए दिशा निर्देश आयुक्तालय कालेज शिक्षा की वेबसाइट पर एनओसी ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक शर्तों के साथ अपलोड किया जाता है।

राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसरण में आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा नवीन निजी महाविद्यालय/ अभिवृद्वि/ नवीन विषय/संकाय स्थायी अनापत्ति हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत निरीक्षण उपरांत नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान की जावेगी।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक नियम 1993 की अनुपालना में यथा आवश्यक समय समय पर जारी निर्णयों के अनुरूप उक्त दिशा निर्देशों के संशोधन व परिवर्तन हेतु आयुक्त कॉलेज शिक्षा को अधिकृत किया जाता है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	पंजीकृत संस्था तथा प्रमाणित प्रबंध समिति	01
2	भूमि	02
3	भवन	03
4	स्थायी कायिक निधि (सावधि जमा/ एफ.डी.आर.)	04
5	विश्वविद्यालय सम्बद्धता	05
6	स्टाफ	05
7	महाविद्यालय का नामकरण	05
8	महाविद्यालय वेबसाइट एवं अन्य ऑनलाइन पोर्टल के सम्बन्ध में	05
9	निरीक्षण	06
10	नवीन महाविद्यालय के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पात्रता, प्रक्रिया एवं मापदण्ड	06
11	अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि हेतु पात्रता, प्रक्रिया एवं मापदण्ड	07
12	स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पात्रता, प्रक्रिया एवं मापदण्ड	08
13	नवीन विषय/संकाय हेतु पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड	09
14	स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड	09
15	सांध्य/सायंकालीन महाविद्यालय हेतु पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड	09
16	विधि महाविद्यालय पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड	10
17	महिला शिक्षा से सहशिक्षा/सह शिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड	11
18	स्थान परिवर्तन पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड अनापत्ति प्रमाण–पत्र की पुनः बहाली	11
19	नाम परिवर्तन पात्रता, प्रक्रिया एवं मापदण्ड	11
20	प्रबन्ध–अन्तरण पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड	11
21	शुल्क	12
22	ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण की तिथियां	13
23	ऑनलाइन आवेदन, आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की हार्ड कॉपी नोडल महाविद्यालय में पत्र प्रस्तुत करना एवं निरीक्षण प्रक्रिया की समयावधि	13
24	अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुमोदन का स्तर	14
25	एफ.डी.आर.नगदीकरण की परिस्थितियां	14
26	अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण	15
27	अनापत्ति प्रमाण–पत्र की पुनः बहाली	16
28	प्रवेश प्रक्रिया	16
29	गुणात्मक सुधार हेतु अपेक्षित कार्यक्रम	16
30	कौशल–उन्नयन	17
31	दण्डात्मक कार्यवाही	18
32	नियमितीकरण	18
33	संविलयन	19
34	विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप सुविधायें तथा शौचालय, यूरिनल्स तथा पेयजल के मापदण्ड (परिशिष्ट–1)	20
35	महाविद्यालय विहीन उपखण्डों की सूची (परिशिष्ट–2)	21
36	राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (परिशिष्ट–3)	22
37	राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र की सूची(परिशिष्ट–4)	23
38	एफडीआर नगदीकरण/महाविद्यालय बंद करने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–5)	24
39	प्रबन्ध कार्यकारिणी की सूची का प्रारूप (परिशिष्ट–6)	25
40	अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु भू–रूपान्तरण दस्तावेज जमा करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–7)	26
41	प्रबन्ध अन्तरण हेतु आवेदन का प्रारूप (परिशिष्ट–8)	27
42	स्थायी कायिक निधि का प्रारूप (परिशिष्ट–9)	28
43	ई–ग्रास चालान सम्बन्धी निर्देश एवं प्रारूप (परिशिष्ट–10)	29
44	कौशल–उन्नयन सम्बन्धित पाठ्यक्रम विवरण (परिशिष्ट–11)	31
45	अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अग्निशमन यंत्र,शैक्षणिक स्टाफ तथा पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–12)	32
46	भूमि भवन प्रमाण पत्र प्रारूप (परिशिष्ट–13)	33
47	एनओसी जारी करने हेतु कैलेण्डर (परिशिष्ट–14)	34
48	भवन की वास्तविक स्थिति(परिशिष्ट–15)	35
49	शपथ पत्र (परिशिष्ट–16)	36

निजी महाविद्यालयों हेतु पूर्व में प्रसारित सभी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में ये दिशा–निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं जो सत्र 2021–22 से प्रभावी होंगे। नवीन, पूर्व संचालित अस्थायी एवं स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त सभी महाविद्यालय इन दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 का पालन इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त सभी महाविद्यालयों को करना होगा । केवल भूमि एवं स्थायी कायिक निधि (सावधि जमा) के मापदण्ड के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 एवं समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रसारित तत्सम्बन्धी समस्त विनियम इन दिशा–निर्देशों का भाग होंगे । यह समस्त दिशा निर्देश समग्र रूप से निजी महाविद्यालय नीति कहलायेंगे।

सत्र 2021–22 एवं उसके बाद के सत्रों हेतु निजी महाविद्यालय के समस्त प्रकरणों के लिए अनापत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । ये दिशा निर्देश हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पोर्टल पर https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/policies.php एवं "एनओसी ऑनलाईन पोर्टल" लिंक पर आवेदन के लिए आवश्यक शर्तों के साथ उपलब्ध होंगे ।

निजी महाविद्यालयों हेतु आधारभूत मापदण्ड

1. **पंजीकृत संस्था** तथा **प्रमाणित प्रबंध समिति**

1.1 **पंजीकृत संस्था**

निजी महाविद्यालय के संचालन हेतु एक संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी का गठन अनिवार्य है। जिसका पंजीयन "राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958" अथवा "राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959" अथवा "भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882" अथवा "दी कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी" के अन्तर्गत होना अनिवार्य है। निजी महाविद्यालय नीति के आगामी बिंदुओं में "संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी" को "संस्था" शब्द से सम्बोधित किया गया है ।

1.2 "संस्था" के पंजीकृत विधान के उद्देश्यों में **उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था** का उल्लेख होना अनिवार्य है।

1.3 **प्रमाणित प्रबंध समिति**

महाविद्यालय के लिए निम्नांकित विहित रीति से एक **प्रबंध समिति** गठित की जायेगी–

1.3.1 प्रबन्ध समिति संस्था या संस्था के प्रधान या प्रधानों सहित न्यूनतम 15 सदस्यीय होनी चाहिए जिसमें 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है।

1.3.2 प्रबंध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो–तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो तथा प्रत्येक सदस्य के नाम के साथ उसके पेशे का उल्लेख होना अनिवार्य है। (परिशिष्ट –6)

1.3.3 प्रबन्ध समिति में न्यूनतम दो शिक्षाविद सदस्य होना अनिवार्य है। जिनके सहमति पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र संस्था को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1.3.4 "संस्था" को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् निर्वाचन कर नयी **प्रबंध समिति** का गठन करना अनिवार्य है।

1.3.5 रजिस्ट्रार संस्थाएं से प्रमाणित निर्वाचित प्रबन्ध समिति की सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1.3.6 प्रबन्ध समिति के किसी भी सदस्य का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नही होना चाहिये, अर्थात् वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिये विचारित या दोष सिद्ध नही होना चाहिए ।

 सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

2 भूमि

2.1 भूमि का माप

सत्र 2015–16 से पूर्व स्थापित महाविद्यालयों हेतु उनके स्थापना सत्र अथवा प्रथम स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र अथवा सत्र 2014–15 के भूमि सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड में से **जो भी कम हो** लागू होंगे जो निम्नानुसार है –

विवरण	2012–13 से 2014–15 तक	2007–08 से 2011–12 तक	2006–07	2003–04 से 2005–06 तक
जयपुर महानगर	2000 व.मी.	2000 व.मी.	2000 व.मी.	10 एकड
संभाग मुख्यालय	4000 व.मी.	2000 व.मी.	2000 व.मी.	10 एकड
जिला मुख्यालय	5000 व.मी.	4000 व.मी.	4000 व.मी.	10 एकड
अन्य समस्त क्षेत्र	8000 व.मी.	5000 व.मी.	10000 व.मी.	10 एकड

सत्र 2015–16 व उसके बाद के सत्रों से स्थापित होने वाले महाविद्यालयों हेतु

क्र.सं.	महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली भूमि माप)	सत्र 2015–16 व उसके बाद के सत्रों से स्थापित महाविद्यालयों हेतु भूमि सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड
1	**2000 वर्गमीटर**	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र
2	**3000 वर्गमीटर**	**अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय के स्थानीय निकाय सीमा)**
3	5000 वर्गमीटर	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय के स्थानीय निकाय सीमा)
4	6000 वर्गमीटर	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)
5	8000 वर्गमीटर	अन्य समस्त क्षेत्र

2.3 भूमि का स्वामित्व

2.3.1 भूमि पर संस्था का स्वयं का विवादरहित पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जा अनिवार्य है।

2.3.2 संस्था के नाम से भूमि के पंजीकृत दस्तावेज/सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि पट्टा अनिवार्य है।

2.3.3 भूमि के दस्तावेजों में संस्था का नाम पहले होना चाहिए, अध्यक्ष/सचिव का नाम जरिये अध्यक्ष/सचिव लिखकर बाद में होना चाहिए अर्थात .....**(समिति का नाम) जरिये ..... सचिव/अध्यक्ष का नाम)**

2.4 भूमि की अवस्थिति

2.4.1 महाविद्यालय हेतु चिह्नित भूमि एक ही निकाय अर्थात् एक ही तहसील की सीमा में स्थित होनी चाहिए । एक ही तहसील में अवस्थित भूमि का क्षेत्र यथा शहरी या ग्रामीण, भी एक समान ही होना चाहिए। जिस हेतु तहसील/नगरपालिका/नगरनिगम/विकास प्राधिकरण के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (परिशिष्ट –13)

2.5 भूमि का प्रकार

2.5.1 महाविद्यालय हेतु चिह्नित भूमि शैक्षणिक/संस्थागत प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होनी चाहिए। भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण आदेश आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.5.2 सत्र 2019–20 व आगामी सत्रों में स्थापित महाविद्यालय हेतु प्रस्तावित भूमि टुकडों में नहीं होकर **एकजुट/लगायत** होनी चाहिए अर्थात एक से अधिक खसरे होने की स्थिति में उनके मध्य कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। प्रमाण स्वरूप संस्था द्वारा भूमि का नजरी नक्शा (रेवन्यू मैप) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.6 भूमि सम्बन्धी अन्य प्रमाण पत्र

2.6.1 राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार या उच्च अधिकारी) द्वारा जारी भूमि की वर्गमीटर में माप का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गैर राजकीय प्रतिनिधियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

2.6.2 संस्था का प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय के लिये भूमि को चिन्हित किया गया हो।

2.6.3 संस्था द्वारा Google Map में महाविद्यालय की भूमि को रजिस्टर कर उसका प्रिन्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3 भवन

3.1 भवन संबंधी न्यूनतम मापदण्ड

कक्षों का प्रकार		प्रति पाठ्यक्रम 300 छात्र संख्या तक	आकार (फीट में)
कक्षा कक्ष	कला संकाय (बी.ए.)	4	20′×30′
	वाणिज्य संकाय (बी. कॉम.)	3	
	विज्ञान संकाय (बी.एस.सी)	4	
	ऑनर्स प्रत्येक विषय के लिए	3	
	स्नातकोत्तर प्रत्येक विषय	1	
	विधि संकाय त्रि वर्षीय पाठ्यक्रम (मूट कोर्ट अलग से)	3	
	पंचवर्षीय पाठ्यक्रम (मूट कोर्ट अलग से)	5	
	त्रि वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बी.बी.ए., बी.सी.ए, बी.एस.सी. आई.टी. आदि) प्रति पाठ्यक्रम	3	
प्रयोगशाला	प्रायोगिक विषयों हेतु आवश्यक उपकरणों सहित प्रयोगशाला विषयवार स्नातक, ऑनर्स एवं स्नातकोत्तर विषयों के लिये अलग अलग	1	
अन्य कक्ष	एन.सी.सी./एन.एस.एस./ क्रीडा कक्ष	1	
	पुस्तकालय कक्ष	1	
	वाचनालय कक्ष	1	
	भण्डार कक्ष	1	15′×20′
	प्राध्यापक कक्ष	1	
	गर्ल्स कॉमन रूम (सहशिक्षा महाविद्यालय के लिये)	1	
	कार्यालय कक्ष	2	
	प्राचार्य कक्ष	1	
अन्य	वाहन स्टेण्ड		
	पेयजल		
	विद्युत्		
	खेल मैदान		
	खेल सामग्री		
	फर्निचर		

3.1.1 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिये 300 छात्र संख्या के अनुरूप भवन के मापदण्ड पूर्ण करने होगें। तत्पश्चात् अनापत्ति प्रमाण–पत्र अभिवृद्धि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन /नवीन विषय की अनुमति के लिये तत्कालीन छात्र संख्या के अनुरूप भवन के मापदण्ड पूर्ण करने होंगे।

3.1.2 प्रति संकाय छात्र संख्या 300 से ज्यादा होने पर प्रति 100 या उसके किसी भाग पर 1 कक्षा कक्ष अतिरिक्त आवश्यक होगा।

3.1.3 विधि संकाय पांच वर्षीय कोर्स में बी.ए. एलएलबी , बी.कॉम. एलएलबी एवं बी.एस.सी. एलएलबी हेतु अलग अलग कक्षा कक्ष की गणना की जायेगी।

3.2 भवन से सम्बन्धित दस्तावेज

3.2.1 भवन का नक्शा (ब्लूप्रिंट) जो कि पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया हो तथा सरकार द्वारा नियुक्त सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी (**कनिष्ठ अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग से नीचे स्तर का नहीं हो**) द्वारा अनुमोदित प्रस्तुत करना होगा । भवन ब्लूप्रिंट पर महाविद्यालय का नाम व पता मय भूमि खसरा संख्या अंकित होना अनिवार्य है।

3.2.2 **तहसीलदार या सक्षम अधिकारी** का प्रमाण–पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि **" संस्था द्वारा संचालित अथवा प्रस्तावित महाविद्यालय का भवन संस्था के नाम दर्शायी गई व महाविद्यालय हेतु चिह्नित भूमि (पूरा पता) पर ही स्थित है "**

3.2.3 **"सम्पूर्ण भवन का उपयोग केवल महाविद्यालय के संचालनार्थ किया जा रहा है।"** इस आशय का **शपथ पत्र** प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रमाणीकरण निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किया जावेगा ।

3.2.4 महाविद्यालय भवन का **"महाविद्यालय के नाम"** से आवेदित सत्र का भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।(**न्यूनतम एक वर्ष की अवधि** का **सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)** द्वारा जारी)।

3.2.5 संस्था को Google Map पर महाविद्यालय के भवन को रजिस्टर कर उसका प्रिन्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3.2.6 महाविद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संस्था को भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्रों के छाया चित्र व **500 रु. के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

4 स्थायी कायिक निधि (सावधि जमा/ एफ.डी.आर.)

4.1 संस्था को पांच वर्ष के लिए **बैंक में सावधि जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में "महाविद्यालय के नाम, पता " एवं "संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर" के संयुक्त नाम** से **निम्न तालिकानुसार** आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी ।
एफ.डी.आर. की छायाप्रति (परिशिष्ट–9) –

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	**विवरण**	**सामान्य क्षेत्र**	**आरक्षित/ पिछडा क्षेत्र** (परिशिष्ट– 2,3 व 4)
1	सहशिक्षा महाविद्यालय	10.00	5.00
2	महिला महाविद्यालय	4.00	2.00

नोट : आवश्यक होने पर विभाग स्तर पर उपर्युक्त राशि में वृद्धि करने का निर्णय (उच्च शिक्षा मंत्री स्तर से) लिया जा सकता है जो सभी प्रस्तावित व संचालित महाविद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा ।

5. **विश्वविद्यालय सम्बद्धता**

5.1 संस्था को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रानुसार निर्धारित सम्बन्धित राजकीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति कर निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।

5.2 सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से तथा अन्य नियामक संस्थाओं से सम्बद्धता एवं अनुमोदन लेने के उपरान्त ही महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से स्वीकृत सीटों की संख्या तक प्रवेश दिया जा सकेगा, जिसका दायित्व संस्था का होगा ।

6 स्टाफ

6.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति। स्नातकोत्तर विषय हेतु न्युनतम दो योग्यताधारी व्याख्याता होने आवश्यक हैं।

6.2 समस्त कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ व अशैक्षणिक स्टाफ की सूची मय योग्यता महाविद्यालय के सूचना पटट् पर लगवाना अनिवार्य है। ।

6.3 शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्यरत स्टाफ की सूची को महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

6.4 शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को वेतन भुगतान **"बैंक खाते के माध्यम से"** करना अनिवार्य हैं।

6.5 यदि स्टाफ की संख्या 20 या उससे अधिक होगी तो संस्था को नियमानुसार कार्मिकों के **पीएफ कटौती** व स्टाफ की संख्या 10 या उससे अधिक होगी तो **ESI की कटौती** का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7 महाविद्यालय का नामकरण

नवीन महाविद्यालय का नामकरण निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर ही किया जावे–

7.1 उस क्षेत्र में पूर्व स्थापित महाविद्यालय से मिलता–जुलता नाम न रखा जावे।

7.2 महाविद्यालय के नाम में आपत्तिजनक/The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 के तहत प्रतिबन्धित शब्द न हो अर्थात India, National, International, Rajasthan इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावे।

7.3 महाविद्यालय का नाम संस्था के नाम के समान नहीं होना चाहिए।

7.4 केवल **'कन्या महाविद्यालय' 'सहशिक्षा महाविद्यालय,' 'वाणिज्य महाविद्यालय'** जैसे नाम भी न रखे जावे । ये केवल महाविद्यालय की श्रेणी हैं ।

7.5 **'कन्या महाविद्यालय'** खोलने की स्थिति में महाविद्यालय के नाम में **'कन्या'** अथवा **'महिला'** शब्द आवश्यक रूप से जोडें ।

7.6 महाविद्यालय के नाम में **'शिक्षक प्रशिक्षण/टी.टी./तकनीकी/पी.जी./स्नातकोत्तर /अभियान्त्रिकी'** इत्यादि शब्द नहीं होने चाहिए।

8 महाविद्यालय वेबसाइट एवं अन्य ऑनलाइन पोर्टल के सम्बन्ध में

8.1 **महाविद्यालय की वेबसाइट** –संस्था को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात निम्न कार्यवाही आवश्यक रूप से करनी होगी–

महाविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित करेंगे एवं उसके URL name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाइट में महाविद्यालय को निम्न बिन्दु आवश्यक रूप से उल्लेख करने होंगे–

8.1.1 महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज ।

8.1.2 महाविद्यालय भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या, माप एवं चित्र ।

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

8.1.3 महाविद्यालय में आवेदित/संचालित संकाय/विषय ।

8.1.4 महाविद्यालय के कक्षावार व वर्गवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या ।

8.1.5 संकायवार/कक्षावार विद्यार्थी फीस चार्ट । (**सूचना पटट् पर भी प्रदर्शित करें**)

8.1.6 राज्य सरकार द्वारा जारी प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्रएवं प्रत्येक संकाय/विषय की नवीनतम एनओसी ।

8.1.7 विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्रमाण–पत्र ।

8.1.8 महाविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की सूची । (नाम, फोटो, योग्यता, विषय,आधार नम्बर सहित)

8.1.9 महाविद्यालय वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन करें। प्रत्येक 15 दिन में इसे अद्यतन करना अनिवार्य है।

8.1.10 गत तीन सत्रों का विश्वविद्यालय का संकायवार/कक्षावार परीक्षा परिणाम

विशेषः– नवीन महाविद्यालय अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र व विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट बाबत सम्पूर्ण प्रक्रिया का निष्पादन करेंगे।

8.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture Format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। गत सत्र के DCF–II अपलोड करने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

8.3. महाविद्यालय द्वारा नियमित रूप से हायर एजुकेशन पोर्टल (www.hte.rajasthan.gov.in) पर विभागीय वेबसाइट लिंक **https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/** का अवलोकन करना अनिवार्य है। महाविद्यालयों हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देश समय–समय पर विभागीय वेबसाइट के सर्कुलर लिंक **https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/Circulars.php** पर उपलब्ध होंगे तथा संस्था/महाविद्यालय द्वारा उनकी समय पर अनुपालना किया जाना अनिवार्य है।

8.4 विभागीय पत्रों का उत्तर डाक से भेजने के साथ–साथ e-mail से भी भेजना अनिवार्य है।

9. निरीक्षण

महाविद्यालय का समय–समय पर विभाग के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण भी किया जा सकेगा। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

10. **नवीन महाविद्यालय** के लिए **अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पात्रता, प्रक्रिया एवं मापदण्ड** निर्धारित मापदण्ड पूर्ण पाये जाने पर संस्था को आवेदित सत्र से महाविद्यालय संचालन हेतु **तीन सत्र** का **अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र** जारी किया जायेगा ।

10.1 प्रक्रिया एवं मापदण्ड

10.1.1 निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान व निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन(देखे बिन्दु 21, **22** व **23**)

10.1.2 बिन्दु 1 अनुसार **प्रबन्ध समिति (प्रबन्ध समिति का गठन तीन वर्ष से पहले का ना हो)**

10.1.3 बिन्दु 2 अनुसार स्वयं की भूमि व भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण आदेश।

विशेषः– नवीन महाविद्यालय हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (TNOC) बाबत सम्बंधित निकाय का भू रूपांतरण प्रक्रियाधीन का प्रमाणपत्र व निर्धारित प्रारूप का शपथ पत्र भी मान्य होगा। संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि के समय भू रूपांतरण आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10.1.4 बिन्दु 3 अनुसार स्वयं का भवन व दस्तावेज ।

विशेषः– नवीन महाविद्यालय हेतु प्रथम तीन वर्ष के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु किराये का भवन भी मान्य होगा। मापदण्डानुसार भवन का महाविद्यालय के नाम पंजीकृत किरायानामा/पंजीकृत लीज ही मान्य होगी।

किराये का भवन उसी तहसील की सीमा में होना आवश्यक है, जिसमें महाविद्यालय की भूमि स्थित है तथा किराये के भवन में अन्य संस्था अथवा व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं होनी चाहिए अर्थात किराए का स्वतन्त्र भवन होना आवश्यक है। किराये का भवन होने की स्थिति में संस्था की स्वयं की भूमि व किराये का भवन एक ही निकाय में स्थित होने का तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र। शेष दस्तावेज बिंदु 3 के अनुसार लागू ।

किराये के भवन में कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्गफीट एवं शहरी क्षेत्र में 420 वर्गफीट से छोटे कक्ष मान्य नहीं होंगे। किराये के भवन में भी आवेदित विषय/संकाय हेतु आवश्यक कक्ष संख्या बिन्दु 3 अनुसार ही होगी।

10.1.5 बिन्दु 4 अनुसार निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफ.डी.आर.)।

10.1.6 **सुदृढ वित्तीय स्थिति के साक्ष्य यथा–बैंक पासबुक की छाया प्रति(न्यूनतम 5 लाख रूपये)**

10.1.7 छात्र–छात्राओं हेतु निर्धारित सुविधायें (परिशिष्ट– 1)।

10.1.8 संस्था को भवन में अग्नि शमन यंत्र, शैक्षणिक स्टाफ तथा पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सम्बन्धी **500 रु. के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र जिसमें समस्त सूचनाएँ संकलित कर प्रस्तुत की गयी हों**। (परिशिष्ट– 12)

10.1.9 नवीन महाविद्यालय में आवेदित संकाय के अन्तर्गत आवेदित विषय सम्बद्धक विश्वविद्यालय में संचालित होना आवश्यक है इस आशय का शपथ पत्र ।

10.1.10 निरीक्षण अधिकारी द्वारा महाविद्यालय भवन का निरीक्षण करते समय लिए गए भवन के विस्तृत छाया–चित्र यथा– कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय,वाचनालय,शौचालय,कॉमनरूम, खेल–मैदान इत्यादि।

10.1.11 **विशेष** :– तीन सत्र हेतु प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय को प्रत्येक सत्र में निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑन लाइन प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा।

11. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि हेतु पात्रता, प्रक्रिया एवं मापदण्ड

11.1. पात्रता

11.1.1 प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के तीन सत्र पश्चात् संस्था अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि हेतु **आवेदन की** पात्र होगी। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण पाये जाने पर संस्था को आवेदित सत्र से महाविद्यालय संचालन हेतु दो **सत्र** के लिए **अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र** में अभिवृद्धि जारी की जायेगी।

11.2 प्रक्रिया एवं मापदण्ड

11.2.1 निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान, निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन व निरीक्षण प्रक्रिया। (देखे बिन्दु 21, 22 व 23)

11.2.2 बिन्दु 1 अनुसार प्रबन्ध समिति (प्रबन्ध समिति का गठन तीन वर्ष से पहले का ना हो)

11.2.3 बिन्दु 2 अनुसार स्वयं की भूमि व भूमि हेतु शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आदेश

11.2.4 बिन्दु 3 अनुसार स्वयं का भवन

11.2.5 बिन्दु 4 अनुसार निर्धारित राशि की सावधि जमा

11.2.6 महाविद्यालय की भूमि एवं भवन का गूगल–मैप (देखे बिन्दु 2 व 3)

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

11.2.7 महाविद्यालय भवन का आवेदित सत्र का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (देखे बिन्दु 3)

11.2.8 निरीक्षण अधिकारी द्वारा महाविद्यालय भवन का निरीक्षण करते समय लिए गए भवन के विस्तृत छाया–चित्र यथा– कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, शौचालय, कॉमनरूम, खेल–मैदान इत्यादि। (देखे बिन्दु 3)

11.2.9 विश्वविद्यालय सम्बद्वता का अद्यतन प्रमाण पत्र

11.2.10 गत सत्रों का संकायवार परीक्षा परिणाम

11.2.11 महाविद्यालय की स्वयं की वेबसाईट (देखे बिन्दु 8)

11.2.12 यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य एवं स्टाफ की नियुक्ति ।(देखे बिन्दु 6)

11.2.13 समस्त स्टाफ को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करने के 6 माह के दस्तावेज प्रस्तुत करें। जिसमें स्टाफ का नाम, खाता संख्या अंकित हो तथा बैंक द्वारा प्रमाणित हो। (देखे बिन्दु 6)

11.2.14 पुस्तकालय में प्रत्येक संचालित विषय हेतु न्यूनतम पुस्तकें, आवेदित प्रत्येक विषय हेतु न्यूनतम 50 पाठ्यपुस्तकें/सन्दर्भ पुस्तकें तथा शब्दकोश व सामान्य ज्ञान पुस्तकें।

11.2.15 गत सत्र के AISHE सर्वे के लिए DCF–II अपलोड किये जाने का ऑनलाईन जनेरेटेड प्रमाण

नोटः– संस्था द्वारा नवीन महाविद्यालय हेतु प्राप्त अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवंटित किन्तु असंचालित रहे विषय / संकाय में अभिवृद्धि देय नहीं होगी तथा उन विषय/संकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा। संस्था आगामी सत्रों में नवीन विषय/संकाय के रूप में नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन कर निरस्त किए गये उक्त विषय/संकाय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है।

12. स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु पात्रता, प्रक्रिया एवं मापदण्ड

12.1 पात्रता

संस्था विभाग द्वारा प्राप्त प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र (तीन सत्र हेतु) व तत्पश्चात दो सत्रों हेतु प्राप्त अभिवद्धि में से तीन अकादमिक सत्र (जिनमें अभिवृद्धि प्राप्त दो सत्र आवश्यक रूप से सम्मिलित हो) अनवरत / लगातार संचालित होने पर ही स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिये पात्र होगी।

12.2 स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु मापदण्ड

12.2.1 निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान, निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन व निरीक्षण प्रक्रिया। (देखे बिन्दु 21, 22 व 23)

12.2.2 बिन्दु 1 अनुसार प्रबन्ध समिति (प्रबन्ध समिति का गठन तीन वर्ष से पहले का ना हो)

12.2.3 बिन्दु 2 अनुसार स्वयं की भूमि व शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण आदेश।

12.2.4 बिन्दु 3 अनुसार स्वयं का भवन ।

12.2.5 महाविद्यालय भवन का आवेदित सत्र का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (देखे बिन्दु 3)

12.2.6 निरीक्षण अधिकारी द्वारा महाविद्यालय भवन का निरीक्षण करते समय लिए गए भवन के विस्तृत छाया–चित्र यथा– कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय,वाचनालय,शौचालय,कॉमनरूम, खेल–मैदान इत्यादि (देखे बिन्दु 3)

12.2.7 बिन्दु 4 अनुसार निर्धारित राशि की सावधि जमा (FDR)।

12.2.8 यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य एवं स्टाफ की नियुक्ति समस्त स्टाफ को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करने के 6 माह के दस्तावेज प्रस्तुत करें। जिसमें स्टॉफ का नाम, खाता संख्या अंकित हो तथा बैंक द्वारा प्रमाणित हो। (देखे बिन्दु 6)

12.2.9 महाविद्यालय के समस्त स्टाफ की नियमानुसार पी.एफ. व ESI कटौती के दस्तावेजं।

12.2.10 छात्र–छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो । (परिशिष्ट– 1)

12.2.11 गत तीन सत्रों का छात्रों का औसत परीक्षा परिणाम (न्यूनतम 60 प्रतिशत)

12.2.12 महाविद्यालय में प्रति विषय 100 पुस्तकें एवं न्यूनतम 2000 पुस्तकें पुस्तकालय में होना अनिवार्य है। इस हेतु स्टॉक रजिस्टर का संधारण अनिवार्य है। इसकी सूचना संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में निर्धारित कॉलम में भरनी होगी।

12.2.13 गत सत्र के AISHE सर्वे के लिए DCF – II अपलोड का ऑनलाईन जनेरेटेड प्रमाण पत्र

12.2.14 महाविद्यालय की वेबसाइट **(देखे बिन्दु 8)**

12.2.15 प्रायोगिक विषय (स्नातक/स्नातकोत्तर) के लिए स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करते समय संस्था को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार उपकरणों को क्रय कर उसके फोटोग्राफ्स मय बिल आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही निरीक्षण के समय प्रयोगशालाओं के फोटाग्राफ्स आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। इस हेतु स्टॉक रजिस्टर का संधारण अनिवार्य है।

12.3.16 सम्बद्धक विश्वविद्यालय से प्राप्त नवीनतम सम्बद्धता प्रमाण–पत्र।

12.3.17 विद्यार्थियों से लिये जाने वाले कक्षावार शुल्क का विवरण।

संस्था के द्वारा आवेदन किये जाने पर निरीक्षण व विभाग स्तर पर परीक्षण के उपरान्त मापदण्ड पूर्ण पाये जाने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा ।

13 नवीन विषय/संकाय हेतु पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड

13.1 पात्रता

अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाएं स्वयं के भवन का मापदण्ड पूर्ण करने पर ही नवीन स्नातक स्तर के विषय/संकाय हेतु आवेदन की पात्र होगी।

13.2 निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान व निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। (देखे बिन्दु 21,22 व 23)

13.3 इस हेतु संस्था को पूर्व संचालित विषय / संकाय हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि के लिए निर्धारित समस्त मापदण्ड पूर्ण करने पर ही नवीन विषय / संकाय का अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन सत्र हेतु जारी किया जाएगा। (देखे बिन्दु 11)

13.4 नवीन विषय / संकाय में प्राप्त अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि (3 सत्र) के पश्चात का अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि महाविद्यालय का स्तर स्थायी हो गया हो व उक्त विषय / संकाय में तीनों कक्षाओं के संचालन की स्थिति हो तो संस्था को जारी किये जाने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थायी प्रकृति का होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि की जाएगी ।

13.5 स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक संस्था को निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर नवीन विषय/संकाय के संचालन हेतु स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। **(देखे बिन्दु 12)**

14 स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड

14.1 **पात्रता**

स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाएं, स्नातक स्तर पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त विषय/संकाय में ही स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन की पात्र होगी।

14.2 **निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान व निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन** करना होगा। (देखे बिन्दु 21,22 **व 23**.)

14.3 **स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं को पूर्व संचालित विषय / संकाय हेतु स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित समस्त मापदण्ड पूर्ण करने पर ही नवीन स्नातकोत्तर विषय का स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। (देखे बिन्दु 12)**

15 सांध्य/सायंकालीन महाविद्यालय हेतु पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड

15.1 केवल स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक सामान्य शिक्षा संचालित करने वाली संस्थायें ही सायंकालीन महाविद्यालय खोलने हेतु आवेदन कर सकती हैं।

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

15.2 महिला महाविद्यालय को सांयकालीन पारी में महिला महाविद्यालय संचालन की ही अनुमति दी जायेगी।

15.3 महाविद्यालय वर्तमान में संचालित महाविद्यालय की भूमि एवं भवन में संचालित किया जा सकेगा। किन्तु भूमि (बिन्दु 2 अनुसार) व भवन (बिन्दु 3 अनुसार) सम्बंधित मापदंड स्थायी अनापत्ति हेतु आवश्यक मापदण्डानुसार होने अनिवार्य हैं। शेष प्रक्रिया एवं मापदण्ड नवीन महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार ही लागू होंगे।

15.4 मापदंड पूर्ण करने पर संस्था को सांध्य महाविद्यालय हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (तीन सत्र हेतु) जारी किया जाएगा। तत्पश्चात नियमानुसार आवेदन करने पर दो सत्रों हेतु अस्थायी अनापत्ति अभिवृद्धि व छठे सत्र से स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन किया जाएगा। दंडात्मक कार्यवाही के प्रावधान बिंदु 31 अनुसार लागू होंगें।

15.5 महाविद्यालय के नाम में सांध्य/सायंकाल शब्द का उपयोग करना अनिवार्य है।

15.6 संस्था प्रातःकालीन पारी में संचालित समस्त विषय/संकायों का सम्पूर्ण विवरण मय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगी।

15.7 सायंकालीन महाविद्यालय हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

15.8 सायंकालीन महाविद्यालय संचालन के लिए संस्था को नियमानुसार निर्धारित राशि की एफ.डी. आर. अलग से प्रस्तुत करनी होगी।

15.9 प्रातःकालीन पारी में संचालित प्रायोगिक विषय यदि सांयकालीन पारी से भिन्न हैं तो प्रातःकालीन पारी में आवश्यक प्रयोग शालाओं की गणना सांयकालीन पारी के महाविद्यालय के भवन संबंधी मापदण्ड की पूर्णता हेतु, नहीं की जायेगी।

15.10 सायंकालीन महाविद्यालय के प्राचार्य अलग से नियुक्त किये जायेंगे।

15.11 सायंकालीन महाविद्यालय में यू.जी.सी योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ व अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति बिन्दू संख्या 6 के अनुसार की जायेगी ।

15.12 सायंकालीन महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार से अस्थायी अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्वता लेने उपरान्त ही संस्था प्रवेंश दे सकेगी। जिसका दायित्व संस्था का होगा।

15.13 सायंकालीन महाविद्यालय के लिए समस्त नियम, मानक एवं मापदण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी निजी महाविद्यालय नीति के अनुसार होंगे।

16 विधि महाविद्यालय पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड

16.1 विधि महाविद्यालय उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला/एडीजे न्यायालय/सी.जे.एम कोर्ट उपलब्ध होंगे। अतः उन्हीं स्थानों के लिए आवेदन स्वीकार किये जावेंगे । संस्था को कोर्ट की उपलब्धता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

16.2 संस्था बी.सी.आई. (बार काउन्सिल ऑफ इंडिया) से मान्यता एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय से सम्बद्धता अपने स्तर पर प्राप्त करना अनिवार्य है।

16.1 महाविद्यालय में बी.सी.आई एवं यूजीसी के नियमानुसार योग्यताधारी प्राध्यापकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करनी करना अनिवार्य है।

16.2 महाविद्यालय हेतु बी.सी.आई द्वारा निर्धारित सभी मापदण्ड पूर्ण करना अनिवार्य है।

16.3 विधि संकाय पांच वर्षीय कोर्स में बी.ए. एलएलबी, बीकॉम एलएलबी एवं बी.एस.सी. एलएलबी हेतु अलग अलग कक्षा कक्ष की गणना की जायेगी।

नोटः– 1. उपर्युक्त के अतिरिक्त शेष समस्त मापदण्ड व अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों के समान ही लागू रहेगी ।

2. बी.सी.आई द्वारा दिनांक 12.08.2019 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में आगामी तीन वर्षो के लिए **नवीन विधि महाविद्यालयों के खोलने पर रोक** लगा दी गयी है। अतः बार काउन्सिल ऑफ इंडिया के अग्रिम आदेशों तक नवीन विधि महाविद्यालय खोलने पर प्रतिबंध रहेगा।

17 महिला शिक्षा से सहशिक्षा/सह शिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड

17.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाएं, महिला शिक्षा से सहशिक्षा/सह शिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन की पात्र है।

17.2 निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान व निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। (देखे बिन्दु 21,22 **व** 23)

17.3 महिला शिक्षा से सह शिक्षा में/सह शिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन हेतु आवेदन तभी स्वीकार किया जायेगा जब महाविद्यालय भूमि, भवन एवं एफ.डी.आर.आदि के सभी वर्तमान मापदण्ड पूर्ण करता हो। (देखे बिन्दु 2, 3 व 4)

17.4 प्रबन्ध समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति देनी होगी।

17.5 महिला शिक्षा से सह शिक्षा में परिवर्तन हेतु महाविद्यालय में अध्ययनरत 100 अथवा कुल विद्यार्थियों के 25% (जो भी अधिक हो) के अभिभावकों से परिवर्तन की सहमति प्राप्त कर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

18. स्थान परिवर्तन पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड

18.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था स्थान परिवर्तन की पात्र है। (केवल संबंधित तहसील में ही)

18.2 निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान व निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। (देखे बिन्दु 21,22 **व** 23)

18.3 सह शिक्षा महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन सम्बन्धित तहसील की सीमा तक हो सकेगा। महिला महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन अधिकतम 5 कि.मी. की परिधि में तहसील की सीमा तक हो सकेगा। जिस हेतु तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

18.4 नवीन स्थान पर भूमि एवं भवन के **वर्तमान** मापदण्ड पूर्ण करना अनिवार्य है। (देखे बिन्दु 2 व 3)

18.5 प्रबन्ध समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति अनिवार्य है।

19. नाम परिवर्तन पात्रता, प्रक्रिया एवं मापदण्ड

19.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था नाम परिवर्तन की पात्र है।

19.2 निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान व निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। (देखे बिन्दु 21, 22 व 23)

19.3 समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

19.4 महाविद्यालय के परिवर्तित नाम में नीति के बिन्दु संख्या 7 की पालना सुनिश्चित की जाये।

20 प्रबन्ध–अन्तरण पात्रता प्रक्रिया एवं मापदण्ड

20.1 **केवल स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था ही प्रबन्ध–अन्तरण की पात्र है।**

20.2 निर्धारित आवेदन शुल्क का चालान व निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। (देखे बिन्दु 21, 22 व 23)

20.3 प्रबन्ध–अन्तरण हेतु राजस्थान–गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 13 के अनुरूप तथा नियम 1993 के नियम 10 (VI) के निर्देशानुसार परिशिष्ट–8 में दिये गये प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य है।

20.4 वर्तमान व संभावित प्रबंध समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति देनी अनिवार्य है।

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

20.5 जिस संस्था को प्रबन्ध–अन्तरण किया जाना है उसके द्वारा महाविद्यालय संचालन हेतु निर्धारित भूमि, भवन एवं एफ.डी.आर. आदि के सभी वर्तमान मापदण्ड पूर्ण करना अनिवार्य है। सभी वर्तमान मापदण्ड पूर्ण किये जाने पर ही उसके पक्ष में प्रबन्ध–अन्तरण की अनुमति दी जावेगी ।

20.6 इस सम्बन्ध में वर्तमान संस्था के अध्यक्ष/सचिव की ओर से 500 रु. के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि संस्था/महाविद्यालय पर किसी कर्मचारी/संस्था/छात्र अथवा शासन का कोई देय बकाया नहीं है।

21 शुल्क

21.1 संस्थायें समस्त राशियों को एक साथ जोडकर कुल राशि E-challan (परिशिष्ट–10) द्वारा जमा करवा कर विभाग के नाम के मूल E-challan की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करे।

21.2 E-challan में कार्यालय का नाम **"11503-Dy. Dir, College Education, Jaipur"** तथा बजट हैड **"0202–01–103–02–01 संचालक, महाविद्यालय शिक्षा के द्वारा"** होना अनिवार्य है।

21.3 यदि संस्था ने गलत बजट हैड/कार्यालय के नाम से E-challan प्रस्तुत किया तो उसको अमान्य समझा जायेगा तथा संस्था इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। आयुक्तालय किसी भी स्तर पर इसमें संशोधन करने का आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। संस्था को आवेदित प्रकरण हेतु सही चालान प्रस्तुत करना होगा।

21.4 विभिन्न प्रकरणों हेतु शुल्क का विवरण निम्नलिखित है–

क्र. सं.	प्रकरण	सामान्य आवेदन शुल्क **(रूपयों मे)**
1	नवीन महाविद्यालयों के लिये (समस्त विषय/संकाय स्नातक स्तर)– (क) सहशिक्षा महाविद्यालय	1,00,000
	(ख) महिला महाविद्यालय	50,000
	(ग)उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछडे क्षेत्र (परिशिष्ट– 2)	50,000
	(घ) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र (परिशिष्ट–3,4)	50,000
2	अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	70,000
3	सहशिक्षा परिवर्तन/महिला शिक्षा परिवर्तत/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	50,000
4	पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित संकाय में नवीन विषय/विषयों हेतु आवेदन	50,000
5	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा नये संकाय हेतु आवेदन	50,000
6	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन **प्रति विषय** हेतु आवेदन	30,000
7	**निरीक्षण शुल्क**– स्थायी /अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष	25,000
8	संविलयन (Merger) हेतु आवेदन	50,000

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

नोटः आवश्यक होने पर समय–समय पर विभाग स्तर पर उपर्युक्त शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा

21.5 स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त ऐसे समस्त निजी महाविद्यालय जिन्हें उस सत्र में अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है वे निजी महाविद्यालय भी समस्त सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत कर निर्धारित निरीक्षण शुल्क अवश्य जमा करवावें।

22 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण की तिथियां

22.1 तालिका में उल्लिखित प्रकरणों हेतु आवेदन करने के लिए एक सत्र पूर्व में ऑन लाइन आवेदन करना होगा ।

22.2 सत्र 2021–22 के लिए ऑन लाइन आवेदन की तिथियां निम्नानुसार होगी–

तालिका

क्र.सं.	प्रकरण	आवेदन की तिथियां	शुल्क विवरण
1	समस्त प्रकरण	17 फरवरी, 2021 से 09 मार्च, 2021 तक	सामान्य आवेदन शुल्क
2	समस्त प्रकरण	10 मार्च 2021 से 23 मार्च, 2021 तक	सामान्य आवेदन शुल्क एवं रूपयें 25000/– विलम्ब शुल्क
3	अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्वि/स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ; पूर्व संचालित संकाय/विषय में) / निरीक्षण शुल्क	24 मार्च, 2021 से 31 मार्च 2021 तक	सामान्य आवेदन–शुल्क + रूपये 25000/– विलम्ब शुल्क + रूपये 10000/– अतिरिक्त विलम्ब शुल्क

नोटः–

1. संस्था निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन भरे गए आवेदन को लॉक एंड सबमिट अवश्य करे । ऑनलाइन आवेदन की मात्र ड्राफ्ट कॉपी मान्य नहीं होगी।
2. सभी पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जिन्हें अस्थायी/स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी निरीक्षण शुल्क हेतु ऑनलाईन सूचना प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
3. आवश्यक होने पर समय–समय पर विभाग स्तर पर उपर्युक्त शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

23 ऑनलाइन आवेदन, आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की हार्ड कॉपी नोडल महाविद्यालय में पत्र प्रस्तुत करना एवं निरीक्षण प्रक्रिया की समयावधि

क्र.सं.	प्रक्रिया	समयावधि
1	संस्था द्वारा आवेदन फार्म **लॉक एंड सबमिट** करने के पश्चात आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की हार्ड कॉपी नोडल महाविद्यालय में जमा करवाना	आवेदन फार्म **लॉक एंड सबमिट** करने के 3 दिवस में
2	विभाग द्वारा नामित निरीक्षण अधिकारी यथा नोडल प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय के द्वारा गठित त्रिसदस्यीय दल द्वारा निरीक्षण । नोडल प्राचार्य, निरीक्षण के दिन ही संस्था को पत्र भी जारी करें।	आवेदन फार्म **लॉक एंड सबमिट** करने के 20 दिवस में

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

3	नोडल प्राचार्य द्वारा निरीक्षण उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन व निरीक्षण पत्रावली ऑफलाईन अनिवार्य रूप से आयुक्तालय प्रेषित किया जायेगा ।	निरीक्षण तिथि से 7 दिवस में
4	निरीक्षण पत्रावली का निदेशालय स्तर पर परीक्षण किया जायेगा ।	कैलेण्डर अनुसार
5	निरीक्षण पत्रावली के निदेशालय स्तर पर परीक्षण उपरान्त निर्धारित मापदण्डों में कमी रहने पर कमीपूर्ति पत्र /स्मरण पत्र (अधिकतम तीन) जारी किये जाएंगे।	
6	संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में निर्धारित मापदण्डों में कमीपूर्ति पूर्ण करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।	
7	संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदित प्रकरणों में संशोधन की अनुमति **आयुक्त महोदय** के अनुमोदन से की जा सकेगी।	

नोटः–

कमी पूर्ति न करने, अपर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा निर्धारित अवधि में नियमानुसार निरीक्षण नहीं करवाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। इस आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में आगामी सत्रों हेतु विचार नहीं किया जायेगा तथा जमा करवाया गया आवेदन–शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा ।

24 अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुमोदन का स्तर

क्र.सं.	प्रकरण	अनुमोदन का स्तर
1	नवीन महाविद्यालय हेतु प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, नवीन विषय/नवीन संकाय संचालित करने, स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन, नियमितिकरण, संविलयन एवं प्रथम स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र	राज्य सरकार
2	अस्थायी अनापत्ति प्रमाण में अभिवृद्धि, प्रबन्ध अन्तरण, महिला शिक्षा महाविद्यालयों को सह–शिक्षा में परिवर्तन, सह शिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन, नाम परिवर्तन तथा स्थान परिवर्तन	आयुक्तालय स्तर

25 एफ.डी.आर.नगदीकरण की परिस्थितियां:–

संस्था एफ.डी.आर. का निम्नलिखित परिस्थितियों में नगदीकरण करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं –

25.1 एफ.डी.आर. बनवाने के बाद भी संस्था ने महाविद्यालय हेतु आवेदन नहीं किया हो।

25.2 संस्था ने आवेदन किया हो परन्तु संस्था को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया हो।

25.3 परिपक्व हो चुकी एफ.डी.आर.का नगदीकरण (निर्धारित राशि की नवीन एफ.डी.आर.प्रस्तुत करने पर)

25.4 संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमिक रूप से निरस्तीकरण की स्थिति में (विभाग द्वारा संस्था पर कोई अधिरोपित शास्ति के नियमानुसार भुगतान उपरान्त ही)

25.5 संस्था को एफ.डी.आर.नकदीकरण हेतु 50/–रू॰ के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र परिशिष्ट–5 नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

25.6 एफ.डी.आर .परिपक्व होने पर मूल राशि के नवीनीकरण व ब्याज भुगतान प्राप्ति की अनुमति हेतु आवेदन करने पर

26. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण

निम्नलिखित परिस्थितियों में संस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त जा सकेगा

26.1 महाविद्यालय द्वारा आवेदन करने पर ।

26.1.1 अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपरान्त संस्था महाविद्यालय प्रारम्भ नहीं करना चाहती है ।

26.1.2 पूर्व संचालित महाविद्यालय को बन्द करना चाहती है ।

26.2 **प्रक्रिया**

26.2.1 आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, को कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं संस्था को समिति के निर्णय की मूल प्रति संलग्न करनी होगी जिस पर पंजीकृत समिति की वर्तमान में कार्यरत प्रबंध समिति के समस्त सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

26.2.2 इस सम्बन्ध में संस्था के अध्यक्ष/सचिव की ओर से नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र (परिशिष्ट–5) भी प्रस्तुत करना होगा कि समिति/महाविद्यालय पर किसी कर्मचारी/समिति/छात्र अथवा शासन का कोई देय बकाया नहीं है।

26.2.3 राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में महाविद्यालय बन्द करने के औचित्य सहित विज्ञप्ति की मूल प्रति भी संलग्न करनी होगी।

26.2.4 महाविद्यालय को क्रमिक रूप से बन्द करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

26.2.5 निरस्तीकरण की उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन कर संस्था को स्वयं उक्त सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट/ऑनलाइन पेज आदि पर अपलोड करनी होगी तथा आयुक्तालय में सूचित करना आवश्यक होगा।

26.2.6 बिना अनुमति महाविद्यालय बन्द करने पर समिति ब्लेक लिस्ट मानी जावेगी और समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय को बन्द करने पर समस्त वैधानिक जिम्मेदारी संस्था की होगी। भविष्य में किसी भी तरह के पाठ्यक्रम चलाये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

26.3 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करने पर

26.3.1 यदि किसी संस्था का प्रबन्धन कपट/दुर्व्यपदेशन से या तात्त्विक विशिष्टियों को छिपाकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करता है

26.3.2 अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कोई संस्था भवन सम्बन्धी किन्हीं भी निबन्धों और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है।

26.4 यदि संस्था ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना

26.4.1 महाविद्यालय या उसके किसी संकाय को बन्द कर दिया है।

26.4.2 महाविद्यालय को किसी अन्य भवन या स्थान में स्थानान्तरित कर दिया है।

26.4.3 महाविद्यालय को किसी अन्य प्रबन्ध समिति/ संस्था को अंतरित कर दिया गया है।

26.5 यदि अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की कालावधि की समाप्ति पर संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र अभिवृद्धि को विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने मे विफल रहती है।

26.6 स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के लिए विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने मे विफल रहती है।

26.7 यदि संस्था, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है।

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

26.8 यदि महाविद्यालय में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होना सिद्ध हो जाता है।

26.9 यदि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परीक्षा में अनियमितता/नकल या अन्य कपटपूर्ण कार्य किये जाने पर दोषी पाया गया है।

संस्था को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर दिया जाएगा।

27 अनापत्ति प्रमाण–पत्र की पुनः बहाली

27.1 अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण के विरूद्ध सम्बन्धित संस्था चाहे तो आदेश जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि में उच्चाधिकारियों को अपील कर सकती है।

27.2 राज्य सरकार द्वारा समाधान हो जाने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र को पुनः बहाल किया जा सकेगा।

28 प्रवेश प्रक्रिया

सभी निजी महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि वे पारदर्शी आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अपनायेंगे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

29 गुणात्मक सुधार हेतु अपेक्षित कार्यक्रम

समस्त अधोलिखित कार्यक्रमों की पालना निजी महाविद्यालयों के द्वारा की जानी अपेक्षित है :–

29.1 **स्वच्छ भारत अभियानः–** स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक माह में एक दिवस निश्चित कर अपने निकटवर्ती राजकीय चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, प्राकृतिक जल स्रोत, सार्वजनिक पार्क एवं बाजार इत्यादि स्थानों पर सामूहिक रूप से कैम्प लगाकर स्वच्छता हेतु अभियान चलायेंगे तथा सफाई करवाकर समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे ।

29.2 **पर्यावरण सुरक्षाः–** विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए एवं समाज में जागृति लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष (मानसून के समय) महाविद्यालय परिसर, खेलकूद मैदान, सार्वजनिक स्थल (हॉस्पिटल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, सार्वजनिक पार्क एवं बाजार इत्यादि) पर कम से कम पचास या महाविद्यालय की छात्र संख्या के अनुसार वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाया जाये तथा भविष्य में इन वृक्षों का पालन पोषण भी सुनिश्चित किया जाये ।

29.3 **रक्तदानः–** विद्यार्थियों में समाज के प्रति सहयोग की भावना जागृत करने के उद्देश्य से प्रत्येक सत्र में राष्ट्रीय व विशिष्ट पर्वों पर स्थानीय राजकीय/निजी ब्लड बैंकों से सम्पर्क करके महाविद्यालय रक्तदान में शिविर लगाने का कार्य करवाया जायें ।

29.4 **साक्षरताः–** महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय का प्रत्येक छात्र स्नातक कक्षाओं में अध्ययन के दौरान तीन वर्ष में कम से कम एक निरक्षर पुरूष/ महिला को साक्षर करें।

29.5 **बुक–बैंकः–** महाविद्यालय में बुक–बैंक की स्थापना कर विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध करवायी जावे। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रेरित कर पुस्तकें बुक–बैक में जमा कर उन्हें अगली कक्षा के जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध करवायी जावे।

29.6 **सद्वाक्य/ सूक्तियांः–** समस्त महाविद्यालय परिसर में पुस्तकालय, कक्षा कक्ष में महापुरूषों के प्रेरणास्पद सद्वाक्य/सूक्तियां लिखी जावे ।

29.7 **पाठ्येत्तर गतिविधियांः–** महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., रोवरिंग/रेंजरिंग, महिला प्रकोष्ठ, योजना मंच, छात्र रोजगार परामर्श केन्द्र, उपभोक्ता क्लब, मानवाधिकार क्लब आदि का भी संचालन किया जाये ।

29.8 **राष्ट्रीय दिवस/महापुरूष जयंति/पुण्यतिथि का आयोजनः–** महाविद्यालय में राष्ट्रभक्ति पूर्ण वातावरण निर्मित के लिये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयन्ती, अम्बेडकर जयन्ती,

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

विवेकानन्द जयन्ती तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवसों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें ।

29.9 महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु **सैनेटरी नैपकिन की वेंडिग मशीन** लगवाना सुनिश्चित करें।

29.10 कार्यस्थल पर महिलाओं के **यौन उत्पीडन अधिनियम, 2013** की अनुपालना में महाविद्यालय में नियमानुसार महिला उत्पीडन निवारण समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

29.11 **दिव्यांगजन सुविधाः–** महाविद्यालय में दिव्यांगो के लिये Person with disabilities Act 1995 और NAAC manual में वर्णित अनुसार लिफ्ट, रैम्प , ब्रेल सॉफ्टवेयर, सेपरेट टॉयलेट, स्क्राइब फॉर एग्जामिनेशन आदि सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।

29.12 **अनाथ विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षाः–** महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अधिकतम 5 प्रतिशत अनाथ (जिनके माता पिता जीवित न हों एवं जिनके नाम पर कोई भी चल–अचल सम्पत्ति न हो) विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

29.13 **नशा मुक्त परिसरः–** महाविद्यालयों को तम्बाकू मुक्त परिसर बनाने के प्रयास किये जाये तथा छात्रों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले प्रभावों से अवगत कराया जाये । महाविद्यालय में मादक द्रव्यों के सेवन को निषेध करने सम्बन्धी पोस्टर/वाक्य दीवारों पर लिखवाएं।

29.14 **ई–लर्निंग को बढ़ावाः–** महाविद्यालय के विद्यार्थियों में ऑनलाईन लर्निंग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा स्थापित "स्वयं पोर्टल", "ई–पीजी पाठशाला" आदि शिक्षा सम्बन्धी वैब पोर्टल का प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। महाविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा भी ई–कंटेण्ट विकसित कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

29.15 **स्वच्छ पेयजलः–** महाविद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था हो।

29.16 **स्वच्छ परिसरः–** महाविद्यालय परिसर को नियमित रूप से साफ सुथरा रखने के लिए सफाई की कारगर व्यवस्था हो।

29.17 **जल संग्रहण एवं अक्षय ऊर्जाः–** वांछनीय रूप से वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की व्यवस्था के साथ साथ अक्षय उर्जा की बुनियादी सुविधायें जैसे बिजली के लिए सोलर पैनल अपेक्षितहै।

29.18 **आपदा प्रबन्धनः–** महाविद्यालय प्रशासन को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।

29.19 छात्र सुविधाः– संकाय एवं विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय में फोटो कापी एवं कम्प्यूटर की पूरी सुविधा होगी जिसमें इन्टरनेट की सुविधा भी शामिल है

29.20 परिसर सुरक्षाः– सभी निजी महाविद्यालयों को महाविद्यालय परिसर एवं मुख्यद्वार पर विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा लगवाना तथा इसकी सूचना सम्बन्धित थाने पर उपलब्ध करवानी होगी। सीसीटीवी कैमरे के नियमित संचालन व रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।

29.21 महाविद्यालय को यथासम्भव प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने का प्रयास किया जाये।

29.22 महाविद्यालय में यथा सम्भव वाई–फाई/स्मार्ट क्लास रूम्स की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये।

29.23 कोविड–19 जैसी संक्रामक महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन शिक्षण को बढावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। महाविद्यालय परिसर में इस हेतु राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएं।

30. **कौशल–उन्नयन** :– सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त छात्रहित में सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण,कम्प्यूटर शिक्षा, विदेशी भाषा, कौशल एवं आजीविका, सडक सुरक्षा, योग आदि से सम्बन्धित अन्य पाठ्यक्रम/वोकेशनल पाठ्यक्रम (विवरण परिशिष्ट– 11 पर

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

उपलब्ध) एवं विविध प्रकार की डिप्लोमा यथा पुस्तकालय विज्ञान, Geographic Information System (GIS) आदि पाठ्यक्रमों के संचालन को प्रोत्साहित किया जाये।

31 दण्डात्मक कार्यवाही

31.1. स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त संस्था द्वारा विभागीय दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करने पर या उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्य–दस्तावेज, निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान असत्य पाये जाने पर –

31.1.1 25,000/– रू. की शास्ति राशि एवं सक्षम स्तर (उच्च शिक्षा मंत्री) से अनुमोदन उपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

31.1.2 गलत/असत्य हलफनामा दिये जाने के परिणाम स्वरूप समिति/संस्था के समस्त सदस्यों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

31.2 संस्था द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि के मापदण्ड पूर्ण न करने पर

31.2.1 प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किराए का भवन होने पर तीन वर्ष की अवधि मे मानदण्डानुसार स्वयं का भवन निर्माण करना होगा । अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि के भवन संबंधी व अन्य मापदण्ड पूर्ण न करने पर चतुर्थ वर्ष मे रूपये 1.00 लाख एवं पंचम वर्ष में रूपये 2.00 लाख की शास्ति की अधिरोपित कर वसूल की जायेगी। शास्ति जमा करवाने पर ही संबंधित सत्र के अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मे अभिवृद्धि दी जायेगी।

31.2.2 प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् 5 वर्ष मे स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूर्ण न करने पर छठे वर्ष मे रूपये 2.50 लाख की शास्ति, सातवें वर्ष मे रूपये 3.00 लाख की शास्ति, आठवे वर्ष में रूपये 3.50 लाख की शास्ति, नवें वर्ष में रूपये 4.00 लाख की शास्ति व दसवें वर्ष में 4.50 लाख रूपये की शास्ति जमा करवाने पर ही संबंधित सत्र के अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र मे अभिवृद्धि दी जायेगी। तत्पश्चात स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदंड पूर्ण न करने पर अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

31.2.3 आवंटित किन्तु असंचालित रहे विषय/संकाय में अभिवृद्धि देय नही होगी तथा उन विषय/संकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा। संस्था आगामी सत्रो में नवीन विषय संकाय के रूप मे नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन पश्चात् समस्त मापदण्डो की पूर्ति करने पर निरस्त किए गये विषय/संकाय मे अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है।

31.2.4 सत्र 2011–12 एवं इस से पूर्व स्थापित अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय यदि स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदंड पूर्ण नहीं करते हैं तो सत्र 2021–22 से अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

31.3 सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में दिए गए नवीन प्रवेश की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेशित नवीन विद्यार्थियों को अनियमित किये जाने से होने वाले वैधानिक प्रकरणों का उत्तरदायित्व भी महाविद्यालय / संस्था का होगा।

32. नियमितीकरण –

आदेश क्रमांक/ दिनांक–प. 7(4)उच्च शिक्षा/2004/ 28.12.2004, 599/20.6.2006 तथा 7/4.1.2010 के अन्तर्गत जिन महाविद्यालयों में सत्र 2015–16 **तक** विभाग के **अनापत्ति प्रमाण पत्र** के बिना विश्वविद्यालय से जो नवीन विषय/संकाय प्राप्त किये हैं, संस्था आवेदन **मय** विश्वविद्यालय सम्बद्धता व स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर विषय /संकाय का नियमितीकरण करवा सकती है।

33. **संविलयन (Merger) –**

एक ही समिति के एक से अधिक निजी महाविद्यालय संचालित हों तथा समिति दो या अधिक महाविद्यालयों को संविलयन करके एक महाविद्यालय संचालित करना चाहती है तो निम्न शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकेगी–

33.1 दो या अधिक निजी महाविद्यालय एक ही समिति के अन्तर्गत संचालित हों। संविलयन करने वाले तथा संविलयन होने वाले दोनों महाविद्यालयों में से एक महाविद्यालय पीएनओसी होना आवश्यक है।

33.2 उक्त दोनों महाविद्यालय एक ही विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त होने चाहिए।

33.3 संविलयन हेतु समिति के 3/4 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आवेदन करें।

33.4 संविलयन करने वाला महाविद्यालय यदि महिला शिक्षा श्रेणी का है तो महाविद्यालय में अध्ययनरत 100 प्रतिशत छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी।

33.5 समिति द्वारा सम्बद्धक विश्वविद्यालय से संविलयन की सहमति प्राप्त कर ली गयी हो तथा समिति द्वारा स्वयं के स्तर पर इसकी अनुमति प्राप्त की जायेगी।

33.6 संविलयन होने वाले महाविद्यालय के 100 प्रतिशत विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों की सहमति प्राप्त कर ली गई हो अथवा उन विद्यार्थियों का अन्य महाविद्यालय में प्रवेश करवा दिया गया हो (आवेदन के साथ इस आशय के सहमति पत्र प्रस्तुत करने होंगे)।इस संदर्भ में संस्था द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली जावेगी तथा प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा निदेशालयस्तर पर किया जावेगा।

33.7 संविलयन करने वाले महाविद्यालय द्वारा भूमि, भवन, भू–रूपान्तरण, एफडीआर, स्टाफ आदि के सभी पीएनओसी हेतु निर्धारित वर्तमान मापदण्डों की पूर्ति कर दी गई हो।

33.8 संविलयन होने वाले तथा संविलयन करने वाले महाविद्यालय के पीएनओसी प्राप्त संकाय/विषय में पीएनओसी की अनुमति सभी शर्तों की पूर्ति करने पर जारी की जायेगी। उक्त महाविद्यालयों के टीएनओसी प्राप्त संकाय/विषय में वर्तमान सत्र में निर्धारित पीएनओसी के मापदण्ड पूर्ण करने पर ही पीएनओसी जारी की जायेगी।

33.9 संविलयन होने वाले महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को प्राप्त वेतन पर संविलयन करने वाले महाविद्यालय द्वारा समायोजित किया जायेगा।

33.10 संविलयन करने वाले महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धक विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की अनुमति पश्चात ही संचालित संकाय/विषय में अनुमति प्राप्त विद्यार्थी संख्या तक प्रवेश दिया जावे।

33.11 संविलयन से सम्बन्धित सभी प्रकरण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व 31 मई तक निर्णित होना आवश्यक है।

33.12 संविलयन के कारण होने वाले सभी प्रकार के विधिक प्रकरणों हेतु समिति पूर्णतः जिम्मेदार है।

33.13 संविलयन के सम्बन्ध में आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।

परिशिष्ट– 1

विद्यार्थियों **की संख्या के अनुरूप सुविधायें तथा शौचालय, यूरिनल्स तथा पेयजल के मापदण्ड**

Co- Ed Colleges				For Girls Colleges	
विद्यार्थियों **की संख्या**	For Boys		For Girls	Strength of Students	No of Tiolets
	No of Tiolets	No of Urinal Pans	No of Tiolets		
Up to 500	2	10	5	Up to 500	10
500-1000	4	15	10	500-1000	15
1001-2000	6	20	15	1001-2000	20
2001-4000	8	25	20	2001-4000	25
4001-6000	10	30	25	4001-6000	30
6001 & Above	12	35	25	6001& Above	35

For Staff	For Gents		For Ladies
	No of Tiolets	No of Urinal Pans	No of Tiolets
Up to 50	1	2	1
51-100	2	4	2
101-150	2	6	5
151-200	3	8	8
201-250	5	10	10

नोट–शौचालय एवं यूरिनल्स छत, दरवाजे, सांकल कुन्दी, जल, जल निकासी एवं साफ–सफाई युक्त होने चाहिये।

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

परिशिष्ट– 2
महाविद्यालय विहीन उपखण्डों की सूची

क्र.सं.	उपखण्ड	जिला
1	टाटगढ	अजमेर
2	फूलियाकलॉ	भीलवाडा
3	हमीरगढ	
4	तालेड़ा	बून्दी
5	फतेहगढ	जैसलमेर
6	असनावर	झालावाड
7	बडगांव	उदयपुर
	कुल योग	**07**

नोटः– उक्त सूची अनन्तिम है । यह सूची समय–समय पर संशोधित की जायेगी । इसके अलावा भी ऐसे उपखण्ड जहॉ कोई भी सरकारी अथवा निजी महाविद्यालय नहीं होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर इस सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। आवेदक संस्था को उपखण्ड कार्यालय से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा आवेदित महाविद्यालय का स्थान उपर्युक्त सूची में वर्णित उपखण्ड क्षेत्र में आता है ।

परिशिष्ट– 3

राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

क.सं.	निर्वाचन क्षेत्र	जिला
1	अजमेर दक्षिण	अजमेर
2	अलवर ग्रामीण	अलवर
3	कठूमर	
4	चौहटन	बाडमेर
5	बयाना	भरतपुर
6	वैर	
7	शाहपुरा	भीलवाडा
8	खाजूवाला	बीकानेर
9	केशोरायपाटन	बून्दी
10	कपासन	चित्तौडगढ
11	सुजानगढ	चुरू
12	अनूपगढ	श्रीगंगानगर
13	रायसिंहनगर	
14	दूदू	जयपुर
15	चाकसू	
16	बगरू	
17	जालोर	जालोर
18	डग	झालावाड
19	पिलानी	झुंझुनू
20	भोपालगढ	जोधपुर
21	बिलाडा	
22	रामगंजमण्डी	कोटा
23	जायल	नागौर
24	मेडता	
25	सोजत	पाली
26	खण्डार	सवाई माधोपुर
27	धोद	सीकर
28	रेवदर	सिरोही
29	निवाई	टोंक
30	बांरा–अटरू	बारां
31	सिकराय	दौसा
32	हिण्डौन	करौली
33	बसेडी	धौलपुर
34	पीलीबंगा	हनुमानगढ

अजमेर

 सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

परिशिष्ट– 4
राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र की सूची

क.सं.	निर्वाचन क्षेत्र	जिला
1	राजगढ–लक्ष्मणगढ	अलवर
2	कुशलगढ	बांसवाडा
3	गढ़ी	
4	घाटोल	
5	बागीडोरा	
6	बांसवाडा	
7	सागवाडा	डूंगरपुर
8	चोरासी	
9	डूंगरपुर	
10	आसपुर	
11	बामनवास	सवाई माधोपुर
12	पिण्डवाडा आबू	सिरोही
13	झाडोल	उदयपुर
14	उदयपुर ग्रामीण	
15	सलूम्बर	
16	खेरवाडा	
17	गोगून्दा	
18	किशनगंज	बारां
19	लालसोट	दौसा
20	सपोटरा	करौली
21	टोडाभीम	
22	जमवारामगढ़	जयपुर
23	बस्सी	
24	प्रतापगढ	प्रतापगढ
25	धरियाबाद	

नोटः– उपर्युक्त दोनों सूचियां निर्वाचन विभाग द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधनों के अध्यधीन मान्य होगी । आवेदक संस्था को जिला कलेक्टर अथवा एस.डी.एम. से नवीनतम यह प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आता है ।

परिशिष्ट– 5

एफ.डी.आर.नगदीकरण/महाविद्यालय बंद करने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं ईश्वर को साक्षी मानकर पूर्ण होश – हवास से निम्नलिखित बयान कलम बद्व करता हूं कि :–

(1) समिति द्वारा ..... दिनांक को प्रस्तावित कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था को सत्र .....से पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जाये।

(2) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि आज दिनांक .....में किसी भी कक्षा में कोई भी छात्र महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है।

(3) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं संस्था में कार्यरत किसी भी शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों का आज दिनांक ..... को कोई बकाया नहीं है।

(4) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि संस्थान ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है तथा सरकार से किसी योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की भूमि एवं भवन आदि रियायती दरों पर प्राप्त नहीं किये है।

हस्ताक्षर

(समिति अध्यक्ष/सचिव)

नोटः– उपर्युक्त शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट– 6

संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रबन्ध कार्यकारिणी की सूची का प्रारूप

संस्था का नाम .....

कार्यालय का पता .....

आम सभा बैठक दिनांक ..... में चयनित प्रबन्ध कार्यकारिणी सूची

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

नोट– उक्त सूची पंजीयक से प्रमाणित होनी चाहिए

परिशिष्ट– 7
अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु
भू–रूपान्तरण दस्तावेज जमा करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र श्री .....उम्र..... निवासी.....
.....जिला .....हाल सचिव .....शपथपूर्वक बयान करता हूं कि –

1. यह कि (महाविद्यालय का नाम) ..... के संचालन हेतु (संस्था का नाम) .....द्वारा सम्बन्धित निकाय में पंजीकृत भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु दस्तावेज जमा करा दिए है तथा पत्रावली सम्बन्धित निकाय में प्रक्रियाधीन है।
2. आदेश की प्रति प्राप्त होने पर उसकी प्रति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर में करवा दी जायेगी।
3. भू–रूपान्तरण हेतु निर्धारित समस्त सुरक्षा मापदण्डों की पालना कर दी गई है।
4. संस्था की भूमि पर जहां महाविद्यालय संचालित है, उस पर बिजली की हाई टेंशन लाईन (HTL) नहीं गुजरती है।
5. संस्था की भूमि 'इकोलॉजिकल जोन' में अवस्थित नहीं है।
6. संस्था द्वारा सम्बन्धित निकाय के 'Building Bye-Laws' की शत् प्रतिशत पालना की गई है।

हस्ताक्षर

मैं (सचिव का नाम).....सचिव शिक्षण संस्था (शिक्षण संस्था का नाम)..... .....यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 6 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं सत्यनिष्ठा में पूर्णतः सत्य एवं सही है। इसमें न तो कोई तथ्य गलत है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर

स्थान–
दिनांक–

नोट– उक्त शपथ पत्र 100/– रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट– 8
प्रबन्ध अन्तरण के लिए आवेदन
(नियम 10 (vi))

निदेशक,
कालेज शिक्षा,
राजस्थान

विषयः– प्रबन्ध के अन्तरण के लिए अनुज्ञा।

महोदय,

हम अधोहस्ताक्षरी प्रबन्ध के अन्तरण के लिए आपकी अनुज्ञा चाहने के लिए यह आवेदन निम्नलिखित विशिष्टियों के सहित प्रस्तुत करते हैं :–

क्र.सं.	विशिष्टियां	अंतरित किये जाने के लिए प्रस्तावित संस्था	संस्था को कब अंतरित किया जाना है
1	2	3	4

1. संस्था का नाम
2. पता
3. शिक्षा वर्तमान स्तर
4. प्राप्त की जा रही आवर्ती सहायता अनुदान की स्तरवार प्रतिशतता
5. संकाय और कक्षा/अनुभागवार विद्यार्थियों की संख्या
6. सम्पतियों का ब्यौरा (जंगम–स्थावर सम्पतियों का पृथक–पृथक विरण संलग्न करें)
7. महाविद्यालय भवन
   (क) कक्षा कक्ष (ख) पुस्तकालय (ग) प्रयोगशालाएं (घ) खेल –मैदान
   (ड) अन्य सुविधाएं
8. नगद और बैंक में अतिशेष
9. आरक्षित निधि
10. विनिधान (सूची संलग्न करें)
11. प्राध्यापकों की संख्या (संकाय/कक्षा और वेतनमान के अनुसार)
12. नई संस्था में विद्यार्थियों की शिक्षा की संभाव्यता
13. प्रस्तावित अंतरण के लिए कारण
14. प्रबन्ध द्वारा पारित संकल्प (प्रति संलग्न करें)
15. अन्य विशिष्टियां–

घोषणा

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर उल्लेखित तथ्य और विशिष्टियां हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

अंतरित की जाने वाली संस्था के सचिव
के हस्ताक्षर, तारीख

उस संस्था के अध्यक्ष/सचिव के
हस्ताक्षर जिसको अन्तरित की
जानी है

परिशिष्ट– 9

स्थायी कायिक निधि (F.D.R.) का प्रारूप

(3)

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK
(प्र.का., अजमेर / H.O. AJMER)

परिपक्वता मूल्य रु. MATURITY VALUE ₹ 1380420/-

शाखा/Branch जाबासर जिला/Dist झुन्झुनु

ग्राहक प. सं. CUSTOMER I.D. NO. 42537342

से प्राप्त Received from गोल्डन संध्याकालीन महाविद्यालय जाबासर एवं

जारी दिनांक ISSUE DATE 19-12-17

प्रभावी दिनांक AS OF DATE

से रूपये RUPEES संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाये) कॉलेज शिक्षा जयपुर दस लाख रुपये मात्र

देय दिनांक DUE DATE 19-12-2022

जन्म तिथि (यदि नाबालिग हो) D.O.B. (IF MINOR)

आवधिक जमाराशि की............योजना अनुसार
AS TERM DEPOSIT UNDER............SCHEME

SAMPLE

रसीद क्रमांक RECEIPT NO.	मूल्य दिनांक VALUE DATE	देय दिनांक DUE DATE	अवधि PERIOD	ब्याज दर RATE OF INTEREST	₹ रकम AMOUNT
TDR/2013/A 0428346	19-12-2017	19-12-2022	60 माह	6.50%	1000000/-

खाता क्रमांक A/c No. 44310300001530

कृते बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
FOR BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK

परिचालनीय अनुदेश : OPERATIONAL INSTRUCTIONS : (IF ANY)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory

प्रबन्धक MANAGER

नामिती रजिस्ट्रेशन सं. :
NOMINEE'S REGISTRATION NO.

ह.स. S.S.No. ह.स. S.S.No.

अहस्तान्तरणीय NOT TRANSFERABLE शर्तों के लिए पृष्ठ देखें PLEASE SEE CONDITIONS OVERLEAF

 सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

परिशिष्ट–10

E–GRAS चालान हेतु दिशा–निर्देश

निजी महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार का शुल्क/आवेदन शुल्क आदि राजकोष में ऑन लाइन जमा करवाने हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी

1- **www.egras.raj.nic.in** पर लॉगिन करें।

2- जिनका E-GRAS की वेबसाइट पर **Registration** नहीं है तो वे **"New User"** पर क्लिक करें एवं Login Form को पूर्णतयाः भर कर Login ID व Password प्राप्त कर Sign in करें, तत्पश्चात Profile Create करें ।

3- Profile Create करते समय विभाग (Department) सूची में क्रम सं0 15 पर College Education Department Select करें । Major Head में 0202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति को Select करें व Profile Name भरें । इसके बाद दर्शाये गये मदों में 0202–01–103–02–01 संचालक, महाविद्यालय शिक्षा के द्वारा >> पर प्रेस कर Submit करे एवं Home आइकॉन पर क्लिक करें तथा Profile List में Profile Name Select व continue करने पर E-Challan प्रपत्र दर्शित होगा ।

4 - E-Challan प्रपत्र में दर्शित कॉलम को निम्न प्रकार टाईप करें–

- District में Jaipur टाईप करें।
- Office Name में 11503-Dy. Dir, College Education, Jaipur को Select करें।
- जिस जिले में महाविद्यालय स्थित है उसकी District wise Treausary select करें।
- Select Period में "ONE TIME" को Select करें।
- बजट हैड में राशि टाईप करें।
- Type of Payment में " Manual / E-Banking / Payment Getway/ Credit / Debit Card " में से किसी एक को Select करें।
- Manual को Select करने पर–
  - (i) Name of Bank में प्रदर्शित हो रहे SBI any where/ PNB any where में से किसी एक को सलेक्ट करें।
  - (ii) Cheque/DD. No. में 000000 टाईप करें।
  - (iii) Remark में शुल्क का Nature टाईप करें यथा Application fee, New Subject fee, New faculty fee etc.
  - (iv) Submit पर क्लिक करें व चालान प्रपत्र का प्रिन्ट निकाल कर नकद राशि संबंधित बैक में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें एवं मूल प्रति विभाग में प्रस्तुत करें।
- E-Banking/Payment Getway / Credit / Debit Card Select करने पर –
  - (i) Name of Bank में जिस बैंक से E-Banking करनी है उसका Name Select करें (Payment Getway / Credit / Debit Card में लागू नहीं)

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

(ii) Remark में शुल्क का Nature टंकित करें यथा Application fee, New Subject fee, New faculty fee etc.

(iii) submit पर क्लिक करें तथा open page में Details Confirm करने के बाद Continue पर क्लिक करें तत्पश्चात Internet Banking/ credit/Debit card के माध्यम से शुल्क जमा करवाकर जमा पुष्टि की रसीद संलग्न करें।

नोटः– यदि संस्था ने गलत बजट हैड/कार्यालय के नाम से E-challan प्रस्तुत किया तो उसको अमान्य समझा जायेगा तथा संस्था इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। निदेशालयकिसी भी स्तर पर इसमें संशोधन करने का आवेदन नहीं स्वीकारेगा।

E-GRAS चालान का

प्रारूप

E-CHALLAN (Manual Payment)
Government Of Rajasthan
College Education Department

Valid Upto:-	12/08/2018
GRN :- **24033220**	Remitter's Copy
	Date:- 13/07/2018 12:33:00 PM
BarCode:-	
Office Name:-	Dy. Dir. COLLEGE EDUCATION JAIPUR
Location:-	JAIPUR (SECTT.)
Year:	13/07/2018 To 31/07/2018

Head(0202)	Amount ₹
0202-01-103-02-01-संचालक. महाविदयालय शिक्षा	30,000.00

Discount :-	0.00
Total/Net Amount:- ₹	**30,000.00**
Thirty Thousand Rupees and Zero Paise Only	

Payee Detail

TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId/Lease No:-	
PAN No.:-	
Remitter Name:-	NAME OF COLLEGE
Address:-	Address of College JAIPUR- 000000
Remarks:	NOC Fee

FOR USE IN RECEIVING BANK

Cheque-DD-No.:	000000
Bank CIN No:-	
Bank	SBI AnyWhere

परिशिष्ट– 11
कौशल–उन्नयन सम्बन्धित पाठ्यक्रम/वोकेशनल पाठ्यक्रम विवरण

S.No	Trades	S.No	Trades
1	Accounting & Taxation	40	Hospitality Management
2	Agricultural Operation and Management, Soil Sciences	41	Hotel Management and Catering Technology
3	Analytical Chemistry Techniques for Pharmaceuticals	42	Industrial Pollution & Waste Water Treatment
4	Animation and Multimedia	43	Information Technology Enabled Services and Web Technology
5	Aquaculture	44	Interior Decoration & House Keeping
6	Automobile	45	Jewellery Design
7	Banking	46	Mass Communication
8	Beauty and Wellness	47	Mining
9	Beauty Hair & Hair Dressing	48	Mobile Communication
10	Building Technology	49	Mobile Repairing and Basics of DTH Installation
11	Cadiac Lab Technology	50	Museology
12	Carpentry	51	Mushroom Cultivation
13	Cast Iron Foudry Technology	52	Nursery management
14	Civil Construction Supervision	53	Office Automation and E-Service
15	Clinical Science and Medical Lab Technology	54	Organic Farming
16	Computer Application and IT	55	Pharmaceuticals
17	Computer Hardware and Networking Maintenance	56	Photographic Video Production
18	Computer Animation & Multimedia	57	Pisciculture
19	Computerized Shoe Design and Development	58	Pneumatic & Hydraulic Machine Engineering
20	Dairy Sciences	59	Power Plant Chemistry
21	Desktop publishing	60	Printing Technology
22	Dietics & Nutrition	61	Pulp and Paper Technology
23	Diploma in Office Automation and E-governance	62	Radiographics & Imaging
24	Dress Designing & Tailoring	63	Readymade Garments
25	Drip Technology	64	Renewable Energy
26	Electrician	65	Retail Management
27	Embroidery	66	Rubber Technology
28	Farm Management and Agriculture	67	Sericulture
29	Fashion Technology	68	Stock Market & Trading Operations
30	Fianancial Services	69	Sugar Industry and Processing
31	Fish Fishery	70	Tea Plantation and Management
32	Food Processing and Preservation	71	Taxtile and Ginning Technology
33	Foundry Technology	72	Theatre Art and Stage Craft with multiple exit option
34	Fruit and Vegetable Technology	73	Top Publishing
35	Graphic Art	74	Travel and Tourism
36	Green House Technology	75	Two Wheeler Machanism and Maintenance
37	Health Care	76	Visual Communication
38	Home Science (Creche Management)	77	Website Designing & Management
39	Horticulture	78	Welding and Fabricantion

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

परिशिष्ट –12
अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अग्निशमन यंत्र,शैक्षणिक स्टाफ तथा पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र श्री .....उम्र.....
निवासी.....जिला .....हाल सचिव .....
.....शपथपूर्वक बयान करता हूं कि –

1. यह कि संस्था में आपात स्थिति से बचाव हेतु पर्याप्त संख्या में कार्यशील अग्निशमन यंत्र उपलब्ध हैं।

2. यह कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात यू.जी.सी. योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कर उसकी सूची एवं सभी आवश्यक दस्तावेज आयुक्तालय के आनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर उसकी हार्ड कॉपी नवीन सत्र शुरू होने से पूर्व आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर में प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

3. यह कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात आगामी नवीन सत्र शुरू होने पर आवेदित प्रत्येक विषय हेतु पुस्तकालय में न्यूनतम 50 पाठ्यपुस्तकें सन्दर्भ पुस्तकें तथा शब्दकोश व सामान्य ज्ञान पुस्तकों की उपलब्धता का प्रमाणीकरण नोडल राजकीय महाविद्यालय से करा दस्तावेज आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।

हस्ताक्षर

मैं .....शिक्षण संस्था.....यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा सं 1 से 3 तक में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं सत्यनिष्ठा में पूर्णतः सत्य एवं सही है। इसमें न तो कोई तथ्य गलत है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर

स्थान–
दिनांक–

नोट – उक्त शपथ पत्र 500 रु. के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट –13

भूमि– भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

क्रमांक दिनांक

द्वारा तहसील/नगरपालिका/नगरनिगम/विकास प्राधिकरण

.....

.....

सेवामें

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

विषयः भूमि–भवन प्रमाण पत्र

---(समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व् भवन की जांच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. भूमि का पता :.....

.....

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण.) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर					
भूमि का वर्ग मीटर माप					
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक /संस्थागत /आवासीय /वाणिज्यिक /कृषि भूमि					

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या/संख्याओं की भूमि मौके पर एकजुट/लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में

---(समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

तहसीलदार/सक्षम अधिकारी

(हस्ताक्षर, नाम व कार्यालय मोहर)

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

परिशिष्ट–14

सत्र 2021– 22 में निजी महाविद्यालयों को विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निर्धारित कैलेण्डर

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो की अनुपालना में सत्र 2021–22 में निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकरणों यथा– नवीन महाविद्यालय स्थापित करने/पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र अभिवृद्वि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र /स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के लिए किये गए आवेदनों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार कैलेण्डर निर्धारित किया जाता है:–

क्रं.सं.	विवरण	दिनांक
1.	नवीन निजी महाविद्यालय हेतु प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	30 जून 2021
2.	पूर्व संचालित महाविद्यालय हेतु स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय तथा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/स्नातकोत्तर नवीन विषय /सहशिक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	30 जुलाई 2021
3.	सत्र 2021–22 हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र अभिवृद्वि जारी करने की अन्तिम तिथि	
4.	सत्र 2021–22 से पूर्व संचालित विषय/संकाय में स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	31 अगस्त 2021
5.	अन्य समस्त प्रकरण	

नोट

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र के समस्त प्रकरणों में कमीपूर्ति करने की अंतिम तिथि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि से 5 दिवस पूर्व होगी।
2. नवीन महाविद्यालय व नवीन विषयों/संकाय (यू.जी./पी.जी.) स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के आवेदन निर्धारित दिनांक तक कमीपूर्ति के अभाव में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे एवम् इन आवेदनों पर किसी भी स्थिति में आगामी सत्र हेतु विचार नहीं होगा।
3. **अस्थायी अनापत्ति अभिवृद्धि व स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रकरण निर्धारित अंतिम तिथि तक कमीपूर्ति के अभाव में दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन किये जाएंगे।(देखे बिन्दु 31)**

परिशिष्ट–15

भवन की वास्तविक स्थिति

कक्ष क्रमांक)	आकार (लम्बाई X चौड़ाई	क्षेत्रफल (वर्ग फ़ीट में)	नोडल अधिकारी की टिप्पणी

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष / सचिव प्रबंध समिति)

निरीक्षण अधिकारी	सदस्य	सदस्य
नाम	नाम	नाम
पद	पद	पद
मोबाइल नं	मोबाइल नं	मोबाइल नं

परिशिष्ट–16

50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित

शपथ पत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री.....

अध्यक्ष/सचिव.....एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि–

1 महाविद्यालय में सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमो व नीतियों के अनुसार नियुक्त किया गया है तथा भविष्य में भी किया जाकर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म/ राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन हेतु नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरूद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जायेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

5. महाविद्यालय के संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जायेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

6. संस्था द्वारा महाविद्यालय स्थापना से तीन वर्ष की अवधि में स्वंय की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण कर लिया गया है/ किया जायेगा।

7. महाविद्यालय का समस्त आय–व्यय (लेन–देन) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जा रहा है तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा जोखा संधारित कर प्रति वर्ष आडिट कराया जाता है और भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा जिसे निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध करवाया जायेगा ।

8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता है तथा भविष्य में भी दिया जाता रहेगा।

अध्यक्ष

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्राध्यायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जा रहा है तथा भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा ।

10 संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से करवाया जा रहा है तथा भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा ।

11. संस्था के पास सतत और कुशलतापूर्वक ढंग से कार्य करने के लिये अपने स्रोतों से पर्याप्त आपूर्ति आय है ।

12. महाविद्यालय को तत्काल मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कर दिया गया है ।

13. महाविद्यालय की वेबसाईट बना ली गई है ।

14. महाविद्यालय भवन अन्य कोई संस्था संचालित नहीं है ।

15. महाविद्यालय की भूमि ऋण-भार से मुक्त है ।

16. आवेदित विषय/संकाय सम्बद्ध विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं ।

17. सांख्यिकी पुस्तिका की पूर्ति कर आयुक्तालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

18. AISHE वेबसाइट पर रजिस्टर कर DCF-II विभाग में जमा करवा दिया जायेगा ।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष / सचिव प्रबंध समिति)

मैं .....शिक्षण संस्था.....यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 18 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं सत्यनिष्ठा में पूर्णतः सत्य एवं सही है। इसमें न तो कोई तथ्य गलत है न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष / सचिव प्रबंध समिति)

स्थान–

दिनांक–

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।